राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 8375-8675 दिनांक : 11/12/12

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :— आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनान्तर्गत गठित उप समिति(जलग्रहण) कार्यालय स्थापना बाबत।
प्रसंग :— विभागीय पत्रांक 6004—6284 दिनांक 05.09.2012 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार गठित सभी उप समिति (जलग्रहण) के कार्यालय स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा—निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उपलब्ध राजकीय भवनों यथा ग्राम पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदि में कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में सम्बन्धित जलग्रहण समिति का कार्यालय इन भवनों में स्थापित करने हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश थे। वर्तमान में उप समिति (जलग्रहण) के कार्यालय स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक भी अपेक्षित प्रगति अर्जित नही की जा सकी है।

इस सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. **वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में ही आवश्यक रूप से** सम्बन्धित उप समिति (जलग्रहण) के कार्यालय स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
2. उक्त कार्यालय में उप समिति (जलग्रहण) द्वारा नियमानुसार संधारित किये जाने वाला समस्त रिकार्ड सुव्यवस्थित रूप से संधारित किया जायेगा।
3. कार्यालय के बाहर एक बोर्ड स्थापित कर कार्यालय का नाम, परियोजना का नाम, उप समिति (जलग्रहण) का नाम, समिति के पदाधिकारियों के नाम एवं पद एवं दूरभाष नम्बर आदि सूचनाएं प्रदर्शित की जावें।
4. कार्यालय भवन के अन्दर जलग्रहण विकास गतिविधियों एवं परियोजना से सम्बन्धित पोस्टर, फोटोग्राफस आदि प्रदर्शित किये जावें, जिससे कार्यालय में आने वाले लोगों को परियोजना एवं जलग्रहण कार्यों से होने वाले लाभ की सूचना उपलब्ध हो सके।
5. कार्यालय में जलग्रहण समिति द्वारा सम्पादित कार्यों के सम्बन्ध में सम्पादन से पूर्व एवं सम्पादन के पश्चात के फोटोग्राफ्स संधारित किये जावें।
6. सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा उक्त कार्यालय भवन का स्वयं भौतिक निरीक्षण कर उपर्युक्त बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जायेगी।
7. विभिन्न अधिकारियों के भ्रमण के दौरान सम्बन्धित उप समिति (जलग्रहण) के कार्यालय का निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जायेगा एवं निरीक्षण पंजिका में इस बाबत टिप्पणी अंकित की जायेगी कि कार्यालय विभागीय दिशा—निर्देशों के अनुरूप स्थापित है अथवा नहीं।
8. इस कार्यालय का उपयोग स्वयं सहायता समूहों इत्यादि की बैठकों हेतु भी किया जा सकेगा।
9. जलग्रहण समिति कार्यालय हेतु एक अलमारी, एक मेज, दो कुर्सी का क्रय जलग्रहण समिति के पास उपलब्ध प्रशासनिक मद में से किया जायेगा।
10. जलग्रहण समिति स्तर के समस्त प्रशिक्षण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में उपलब्ध मिटिंग हॉल में ही आयोजित किये जावें। उक्त प्रशिक्षण हेतु राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के मिटिंग हॉल के उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क प्रशिक्षण मद में उपलब्ध राशि में से सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जावेगा।

उपर्युक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

क्रमांक : एफ.18(66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 8375-8675 दिनांक : 11/12/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राज. जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर
4. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
7. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
8. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
9. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति.......................।
11. लेखाकार (वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर), जिला परिषद (समस्त)
12. परियोजना कियान्वयन एजेन्सी, पंचायत समिति.......................।
13. लेखाकार, पंचायत समिति.......................।
14. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

निदेशक